



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052026-272916
CG-DL-E-29052026-272916

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2592]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948

No. 2592]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISTHA 6, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 25 मई, 2026

का.आ. 2685(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का.आ. 1110 (अ) दिनांक 09 मार्च 2023 भारत के राजपत्र में प्रकाशित आसाधारण भाग- (11), खण्ड-3, उपखण्ड (ii) अधिसूचना संख्या कां.आ. 1110 (अ) दिनांक 09 मार्च 2023 के दिनांकित में निम्नांकित संशोधन करती है।

आवश्यक संशोधनों का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक संख्या	मूल अधिसूचना/बाद की अधिसूचना में संशोधन की आवश्यकता वाले मामले		संशोधित
	जगह	मामले का विवरण	
1	क्रमांक 1, स्तंभ 2	सक्षम प्राधिकारी - अपरजिलाधिकारी (प्रशासन) /विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं०सं०) रायबरेली	सक्षम प्राधिकारी-अपर जिलाधिकारी(न्यायिक)/ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं०सं०) रायबरेली

फुटनोट:- मुख्य अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1110 (अ), दिनांक 09 मार्च, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH (O)/LA/NH-931A/2022-2023/3a/Corri]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 25th May, 2026

S.O. 2685(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1110 (E), dated 09th March, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii) S.O. 1110(E), dated 09th March, 2023 namely:

Details of amendment required are as under-

Sl. No.	Matter in principal notification/subsequent notification that requires amendment		Matter to be amended as
	Location	Details of matter	
1	Serial No. 1, Column 2	Competent Authority- Additional Collector (Administration) /Special Land Acquisition Officer(J.O), Raebareli	Competent Authority - Additional District Magistrate (Judicial)/ Special Land Acquisition Officer(J.O), Raebareli

Foot Note: - The Principal notification was published vide number S.O. 1110 (E), Dated 09th March, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii)

[F. No. CE-RO/LKO/NH (O)/LA/NH-931A/2022-2023/3a/Corri]

SHAIKH AMINKHAN, Director